प्रेषक,

जे0एस0दीपक
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक, ०6 अगस्त, 2007**

विषयः–आरक्षित श्रेणी की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग रिक्तियों को भरने हेतु अधिसंख्य पदों का सृजन।

महोदय,

आरक्षण को पूरा करना शासन की विधिक बाध्यता है । अतः आरक्षित श्रेणी की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहें हैं।

2. वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में समस्त श्रेणी के पदों/संवर्गो में सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा प्रोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरे जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 22 मई, 2007, दिनांक 14 जून,2007 एवं 25 जून,2007 को विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

3. आरक्षित श्रेणी के बैकलाग को पूरा करने के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा पुनः यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि यदि संबंधित संवर्ग में आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित पद अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों से भरे हुए हैं, और आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्तियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं तो उस दशा में बैकलाग किस प्रकार पूरा किया जाय।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में बैकलाग भर्ती के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसंख्य पदों के सृजन संबंधी शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2003 निर्गत किया गया था उक्त शासनादेश में व्यवस्था थी कि जहां पर आरक्षित पदों के विपरीत सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी

तैनात हैं और आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति इस कारण नहीं हो पा रही है कि आरक्षित वर्ग हेतु पद उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि आरक्षित वर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के लिए यदि पद उपलब्ध नहीं है तो अधिसंख्य पदों को सृजित कर बैकलाग को पूरा कर लिया जाय।

4– कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 मार्च,2003 के कम में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 06 मई,2003 द्वारा यह आदेश जारी किये गये कि उपर्युक्त श्रेणी के अधिसंख्य पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होगी अपितु प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर नियमानुसार वांछित कार्यवाई कर आदेश जारी कर सकेंगे।

5– वर्तमान बैकलाग भर्ती अभियान के भी परिप्रेक्ष्य में आपको यह अवगत कराया जाना है कि यदि आपके विभाग में बैकलाग पूरा करने के लिए किन्ही कारणों से पद उपलब्ध नहीं है तो वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 06 मई, 2003 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अधिसंख्य पद सृजित किये जा सकते है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अधिसंख्य पदों का सृजन करते हुए बैकलाग की भर्ती की कार्यवाई करने का कष्ट करें।

6– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या– ए–2–128/दस–07 दिनांक 06 अगस्त, 2007 में दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0एस0दीपक)
प्रमुख सचिव।

संख्या–22/43/82/का–2/2007तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव।